47

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : <u>मनोज गोयल,</u>

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4179—दो/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 12—08—2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 136/अ—23/2009—10

....

श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी मुन्नालाल साहू
निवासी—ग्राम लचक्याई तहसील राहतगढ़
जिला— सागर(म0प्र0)

.... आवेदिका

<u>विरूद्ध</u>

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
अनावेदक शासन अनुपस्थित

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 12/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—08—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बांदरी तहसील राहतगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/बी–121/2000–01 में दिनांक 19.12.2000 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि लचक्याई पटवारी हल्का नं0 110 तहसील राहतगढ़ में भूमि ख0क्र0 193, 194/2, 195/2 रकबा 1.39 हैक्टयर का पट्टा बाबूलाल वल्द मोतीराम अहिरवार को वर्ष 1980–81 में प्रदाय किया गया था, जिसे पट्टेदार द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के पूर्व ही आवेदिका गुड्डीबाई पत्नी मुन्नालाल साहू को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.04.1990 को विक्रय कर दिया । उक्त विक्रय पर अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सागर के समक्ष इस आशय से आपत्ति प्रस्तुत की गई कि, विवादित भूमि ख0क्र0 193, 194/2, 195/2 रकबा 1.39 हैक्टयर स्थित ग्राम लचक्याई, प0ह0न0 110 का विक्रय पत्र अवैधानिक है एवं भूमि शासन में वैष्ठित की जावे। न्यायालय अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 456/अ–23/2005–06 पंजीबद्ध कर दिनांक 27.05.2008 से प्रकरण मूलतः तहसीलदार, राहतगढ़ को शासकीय अभिलेख में दुरूस्ती एवं वादग्रस्त भूमि शासन के पक्ष में कब्जा करने हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश दिया गया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 27.05.2008 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर के समक्ष पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/अ–23/2009–2010 पंजीबद्ध किया एवं आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2011 से प्रस्तुत अपील अत्याधिक अवधि बाधित मानते हुये खारिज की गई । अपर आयुक्त सागर के उक्त आदेश दिनांक 12.08.2011 के विरूद्ध में आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है । आवेदकिा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया । तर्क में यह भी बताया गया है कि

आवेदिका द्वारा उक्त भूमि के अलावा अपने परिवार के पालन पोषण हेतु अन्य कोई भी साधन नहीं है एवं वह बहुत वृद्ध व बीमार है तथा उसके पति को भी गंभीर बीमारी है, जिस कारण से वह कोई कार्य करने में असमर्थ है, उसका दो बार ऑपरेशन हो चुका है । वर्तमान में उसका ईलाज चल रहा है । अंतं में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश खारिज करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा विधिवत आवेदिका को कारण बताओ नोटिस दिया गया था । जांच के दौरान आवेदिका ने प्रकरण में अपना बयान भी दर्ज कराया था । अतः यह नहीं माना जा सकता कि कलेक्टर के समक्ष प्रकरण की जानकारी उसे नहीं थी । अपर आयुक्त के समक्ष जो विलम्बित अपील में समय–सीमा अधिनियम की धारा '5' का आवेदन दिया है उसमें जानकारी दिनांक को ब्लैंक छोड़ दिया गया है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब की स्पष्ट गणना/विवरण तथा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए है । अपर आयुक्त ने समय–सीमा का आवेदन अमान्य करने जो विस्तृत कारण दर्शाए गए है उनके विरोध में कोई नए तथ्य इस निगरानी में पेश नहीं किए है ।

5/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर